न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बांदा।

विज्ञप्ति

दिनांक-01.08.2026

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1928/ SFCM Cell/Allahabad दिनांक-28.02.2026 के अनुक्रम में पारिवारिक न्यायालय, बांदा में 01 परामर्शदाता की नियुक्ति की जानी है, जिसके सम्बन्ध में शासनादेश सं.-102/07-न्याय-02-2015-728 न्याया अनुभाग-02 अधीनस्थ न्यायालय बांदा, दिनांक-18.06.2015 के तहत अधोवर्णित अर्हता धारकों से निम्नलिखित शर्तों के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है-

1. आवेदक यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक हो तथा समाज सेवा का अनुभव रखता हो। जो आवेदक सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक है और समाज सेवा का अनुभव रखते हैं तथा साथ ही पारिवारिक काउंसलिंग में कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखता हो, उसे वरीयता दी जायेगी।

2. आवेदक की आयु विज्ञापन प्रकाशित करने की दिनांक को 35 से 65 वर्ष के मध्य हो।

3. जनपद बांदा के मूल निवासी के आवेदकों को वरीयता दी जायेगी।

4. परामर्शदाता का कार्यकाल तीन (3) वर्ष का होगा।

5. परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी। न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेगे।

6. आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इसकी स्क्रूटनी की जायेगी और यथासंभव एक पद के सापेक्ष पांच लोगों की सूची तैयार की जायेगी।

7. राज्य सरकार से अर्ह परामर्शदाता की सूची प्राप्त होने पर मा. उच्च न्यायालय परिवार एवं बाल विकास से सम्बन्धित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरान्त उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगा।

8. परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के सम्बन्ध में मा. उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार मा. उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी।

9.यह विज्ञप्ति तथा परामर्शदाता की नियुक्ति मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लम्बित रिट सी. याचिका सं.-10298/2026 में पारित किसी अन्यथा आदेश तथा राज्य सरकार द्वारा बनाये गये/बनाये जाने वाले नियमों के अधीन होगी।

10. नियुक्त परामर्शदाता को शासनादेश के अनुसार नियत मानदेय देय होगा।

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	परामर्शदाता के रिक्त पदों की संख्या
1.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बांदा।	01

Sd

11. जो व्यक्ति इच्छुक हो, वे संलग्न निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन-पत्र अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाणपत्रों व अन्य वान्छित प्रपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित दिनांक-17.08.2026 तक प्रशासनिक कार्यालय, कुटुम्ब न्यायालय, बांदा में प्रस्तुत कर सकते है। उक्त तिथि के बाद कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

संलग्नक: यथोक्त।

(प्रदीप सिंह)
प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय, बांदा।

प्रतिलिपि-

1. प्रभारी अधिकारी, नजारत जनपद न्यायालय बांदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. प्रशासनिक अधिकारी, कुटुम्ब न्यायालय, बांदा को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्रशासनिक कार्यालय, पारिवारिक न्यायालय बांदा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने सुनिश्चित करें।

3. सचिव, बार एसोसिएशन, बांदा को इस आशय से प्रेषित कि वे इस विज्ञप्ति को बार एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना का कष्ट करें।

4. जिला सूचना अधिकारी बांदा को स्थानीय एवं राष्ट्रीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

5. सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय, बांदा को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह विज्ञप्ति की प्रतिलिपि को जनपद न्यायालय बांदा व मा. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(प्रदीप सिंह)
प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय, बांदा।

True Copy

मुन्सरिम
प्रधान न्यायाधीश
रिक न्यायालय
बांदा (उ०प्र०)

परामर्शदाता के चयन हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप।

स्वप्रमाणित फोटो

1. आवेदक का नाम ....

2. पिता/पति का नाम ....

3. जन्म तिथि ....

4. पत्राचार का पता ....

....

5. स्थायी पता ....

6.मोबाइल/टेलीफोन नं. ..../ ई-मेल आई.डी..............................

7. आधार कार्ड सं. ....

8. वर्ग (सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति)...

9. यदि अधिवक्ता हो तो कचहरी में बैठने का स्थान...

10. शैक्षणिक योग्यता का विवरण: (अंकपत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।).............

शैक्षणिक योग्यता	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	बोर्ड/संस्थान का विवरण
स्नातक				
परास्नातक				
एल.एल.बी.				
परास्नातक (एल.एल.एम.)				
अन्य				

11. यदि आवेदक द्वारा पूर्व में पारिवारिक न्यायालय में परामर्शदाता के रूप में कार्य किया गया हो तो उसका सम्पूर्ण विवरण दें ....

(सुसंगत प्रमाणपत्र/आदेश/नियुक्ति पत्र संलग्न करें)।

12. यदि आवेदक के पास पारिवारिक मामलों में काउंसलिंग का पूर्व अनुभव हो तो उसका विवरण...

13. यदि अधिवक्ता हैं तो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पंजीकरण की संख्या/तिथि का विवरण..................

(उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का प्रमाणपत्र/सी.ओ.पी. संलग्न करें)।

14. यदि आवेदक अधिवक्ता है तो आवेदक ने पिछले 3(तीन) वर्षों में कितने मुकदमों में वकालतनामा प्रस्तुत किया है और उसके कितने मुकदमें अंतिम रूप से निर्णीत हुए, वर्षवार विवरण संलग्न करें।..

15. क्या न्यायालय से आपको प्रशंसा अथवा चेतावनी मिली है? यदि हां तो विवरण अंकित करें...

16. आवेदक की पिछले तीन वर्ष की वार्षिक आय का विवरण...

(आई.टी.आर. की प्रतिलिपि संलग्न करें)

17. क्या आपके विरूद्ध कोई आपराधिक वाद लम्बित है अथवा पूर्व में चला है, तो उसका विवरण..

18. यदि आवेदक के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा अवमानना की कार्यवाही की गयी हो तो उसका पूर्ण विवरण दे...

19. यदि आप समाज सेवा/मनोविज्ञान से जुड़े हैं तो इस क्षेत्र में किये गये कार्यों का विवरण..

(संसगत प्रमाणपत्रों सहित प्रस्तुत करें)

स्थान............................... आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक-............................ मोबाइल नंम्बर............................

सत्यापन

मैं.. सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त क्रम सं.-1 लगायत क्रम सं.-19 तक उपवर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान से सत्य व सही है। यदि उपरोक्त कथन में त्रुटि व गलत पाया जाता है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये तथा मैं कानूनी कार्यवाही का भागी होऊंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

True Copy

मुन्सरिम
प्रधान न्यायाधीश
...रिक न्यायालय
बांदा (उ०प्र०)